न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3878–एक/14 विरूद्ध आदेश, दिनाक 12–11–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 305/13–14 अपील.

1 शौकीन खां पिता छोटे खां
2 गफूर खां पिता छोटे खां
3 वहीद खां पिता हस्सू खां
निवासीगण ग्राम सिरसा तहसील सेवढा जिला दतिया म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 जिन्नत खॅा बेवा अकबर खॅा
निवासी कृषक ग्राम सिरसा तहसील
सेवढा हॉल निवास ग्राम उचाड तहसील व जिला दतिया म0 प्र0
2 मुस0 कंचन बेवा स्व0 श्री प्रेम यादव
निवासी ग्राम रामपुर बुजुर्ग तहसील सेवढ़ा
3 श्रीमती मुन्नी पत्नि श्री महेन्द्र सिंह यादव
निवासी वार्ड क्रमांक 6 सेवढा जिला दतिया म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव एवं श्री डी0 एस0 भदौरिया, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7.1.16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण क्रमांक 3878–एक/14 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर

के प्रकरण क्रमांक 305/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । ग्राम सिरसा तहसील सेवढ़ा स्थित वाद भूमि गैर निगराकार 1 जिन्नत के पति अकबर खॉ (मृत) की स्वअर्जित भूमि थी जिसके वे भूमिस्वामी थे। अकबर की मृत्यु वर्ष 1997 में होने पर सरपंच ग्राम पंचायत सिरसा द्वारा दिनांक 22–9–97 उदघोषणा जारी करते हुये नामांतरण पंजी क्रमांक 5 दिनांक 16–10–97 से जिन्नत के नाम नामांतरण स्वीकृत किया गया । जब वर्ष 2014 में जिन्नत ने वाद भूमि से संबंधित विक्रय गैर निगराकार 2 एवं 3 के हित में किया, तो निगराकारगण ने 16–10–97 के नामांतरण के 16 वर्ष 6 माह बाद अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के समक्ष अपील की जिसमें उन्होंने वर्ष 1995 में अकबर द्वारा वाद भूमि का मौखिक हिबानामा अकबर के छोटे भाई छोटे खां (जो निगराकारगण के पिता थे और जिनकी मृत्यु वर्ष 1999 में हुई) के पक्ष किए जाने तथा मुस्लिम उत्तराधिकार विधि का आधार लिया । अनुविभागीय अधिकारी ने उनके प्रकरण क्रमांक 25/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 21–5–14 द्वारा निगराकारगण की अपील स्वीकार कर जिन्नत के पक्ष में हुआ नामांतरण आदेश दिनांक 16–10–97 अपास्त किया । इसके विरूद्ध जिन्नत ने अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील की, जहॉ पारित आक्षेपित आदेश से अपील स्वीकृत हुई, जिसके विरूद्ध यह निगरानी दायर हुई ।

3/ मैने प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने एवं लिखित तर्क पढे ।

(क) निगराकार पक्ष के अधिवक्ता द्वारा तर्क में निम्न मुख्य बिन्दु उठाए गए हैं :

(1) मुस्लिम उत्तराधिकार विधि (शरियत) के अनुसार उन्हें वाद भूमि का 3/4 हिस्सा और जिन्नत को 1/4 हिस्सा मिलना चाहिए था, क्योंकि अकबर लाऔलाद फौत हुए थे, उनके बडे भाई पहले ही मर चुके थे, केवल छोटे भाई छोटे खां उनकी मौत के समय जीवित थे जिनके निगराकारगण पुत्र हैं । इसके अतिरिक्त अकबर ने अपने जीवनकाल में वाद भूमि का मौखिक हिबानामा निगराकारगण के पक्ष में किया था, जिसमें जिन्नत की सहमति थी, अतः उसका पालन होना चाहिए ।

(2) चूँकि वर्ष 1997 में पारित नामांतरण आदेश के समय बंदोबस्त की कार्यवाही चल रही थी, अतः म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता (संहिता) की धारा 88, अध्याय 9 एवं 18 के अनुसार धारा 110 की नामांतरण संबंधी शक्तियां एक मात्र सहायक बंदोबस्त अधिकारी को थीं, तहसीलदार, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा आदि को नहीं । संहिता की धारा 164 के अनुसार खातेदार की मृत्यु के समय प्रचलित विधि के अनुसार न्यायगमन होना होगा । इसके अतिरिक्त नामांतरण पंजी की कार्यवाही में केवल सरपंच के हस्ताक्षर हैं, पटवारी, सचिव आदि के नहीं, और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव भी संलग्न नहीं है । इन कारणों से जिन्नत के हित में हुआ ग्राम पंचायत का नामांतरण आदेश दिनांक 16–10–97 अधिकारिता विहीन होने के कारण शून्यप्राय है एवं उसके विरूद्ध परिसीमा की बाधा नहीं लगेगी ।

(3) जिन्नत ने वाद भूमि का गैर निगराकार –2 एवं 3 को दिनांक 10–4–14 को विक्रय बैनामा लेख किया । इस विक्रय पत्र में जिन्नत ने अपना पता ठन्डी सड़क अमन कालोनी, मौजा सिरसा लिखा । ऐसे में अपर आयुक्त के समक्ष जिन्नत का निवास ग्राम उचाड़ बताया जाना, और इस आधार पर अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय का सूचना पत्र ग्राम सिरसा में चस्पादी द्वारा तामील होकर जिन्नत के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एक पक्षीय निर्णय लिये जाने को अनुचित माना जाना, सही नहीं है । निगराकारगण के अनुसार जिन्नत अनुविभागीय अधिकारी की सूचना तामीली लेने से बच रही थी ।

इसके अतिरिक्त, अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष के अपील मेमों के पृष्ठ 2 पद 5 में निगराकारगण ने लिखा है कि जिन्नत 75 वर्ष की वृद्ध महिला है जिसे सोचने समझने और अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहा, जिसका फायदा उठाकर उसके मायके वाले उसका 'अपहरण' कर लिया जिसकी रिपोर्ट निगराकारगण ने 20–3–14 को थाने में की । हालांकि, अपने लिखित तर्क दिनांक 4–11–15 के पृष्ठ 6 पद 7 (ब) में उन्होंने यह लिखा है कि दिनांक 20–3–14 को जिन्नत उप रजिस्ट्रार कार्यालय सेवढ़ा से 'भाग गई' जिसकी रिपोर्ट 21–3–14 को थाने में हुई ।

(4) उन्होंने अपने समर्थन में न्याय दृष्टांत राजस्व निर्णय 1980 पृ0 505, राजस्व निर्णय 1994 पृ0 102, राजस्व निर्णय 1982 पृ0 417 प्रस्तुत किए ।

(ख) गैर निगराकार पक्ष के अधिवक्ता के तर्क में निम्न मुख्य बिन्दु थे :–

(1) वाद भूमि अकबर की स्वअर्जित सम्पत्ती थी, जिस पर जिन्नत का दिनांक 16–10–97 से नाम दर्ज है और कब्जा भी है ।

(2) 1995 में कोई मौखिक हिबानामा नहीं हुआ था । यदि हुआ होता तो तत्समय ही छोटे खां को नामांतरण कराना चाहिए था, क्योंकि हिबानामा हिबाकर्ता के जीवनकाल में ही कियाशील हो जाता है, वसीयतनामे की तरह वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद नहीं ।

(3) निगराकारगण ने गैरनिगराकार–2 एवं 3 के हित में होने वाले नामांतरण के विरूद्ध आपत्ती की थी । अतः उन्हें जब गैर निगराकार–2 एवं 3 के बारे में मालूम था, तो गैरनिगराकार–2 एवं 3 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पक्षकार नहीं बनाना, और केवल जिन्नत को पक्षकार बनाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एक पक्षीय निर्णय करा लेना, गलत था । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष निगराकारगण द्वारा जिन्नत का पता ग्राम सिरसा बताया जाना भी गलत था, जबकि वे अनेक वर्ष पूर्व ग्राम उचाड़ चली गई थी, जहां का उनका वोटर कार्ड भी है ।

(4) 16 वर्ष 6 माह के विलंब को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा माफ किया जाना गलत था।

(5) निगराकारगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष हिबानामा का बिन्दु उठाया, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके हित में वारसाना नामांतरण किया जाना, वो भी बगैर किसी हक दस्तावेज के, गलत था ।

4/ विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के प्रकाश में मैने अभिलेखों का परिशीलन किया । तर्कों एवं इस परिशीलन उपरान्त मैं प्रकरण में निम्न प्रमुख विवेचना के बिन्दु पाता हूँ:–

(1) वर्ष 1995 का तथाकथित मौखिक हिबानामा प्रमाणित नहीं है । गैरनिगराकार पक्ष का यह तर्क, जिसे अपर आयुक्त ने भी माना है, कि हिबानामे का कियान्वयन (क्योंकि वह वसीयत से भिन्न है) हिबाकर्ता के जीवनकाल में ही करा लिया जाना चाहिए था, जो कि नहीं कराया

गया, से मैं सहमत हूँ बशर्ते उसका पालन अन्य सुसंगत विधि के प्रावधानों के पालन के साथ किया जाता ।

(2) निगराकारगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील मैमो दिनांक 3–4–14 के पद 6 में मुस्लिम उत्तराधिकार विधि के अनुसार हक प्राप्ति का बिन्दु भी उठाया है, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने विचार किया है किन्तु अपर आयुक्त ने विचार कर इस बिन्दु का निराकरण नहीं किया ।

(3) नामांतरण पंजी आदेश दिनांक 16–10–97 के समय बंदोबस्त की कार्यवाही चल रही थी या नहीं, अभिलेखों एवं कार्यालयीन जानकारियों द्वारा अपर आयुक्त ज्ञात कर सकते थे । यह उन्होंने नहीं किया, और ना ही बंदोबस्त यदि चल रहा था तो उसके ग्राम पंचायत की विषयांकित अधिकारिता के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला ।

(4) यह सही है कि नामांतरण पंजी के अभिलेख के अनुसार उसमें केवल सरपंच के हस्ताक्षर आदेश के नीचे है, उद्घोषणा पत्र के पीछे केवल जिन्नत एवं कोटवार मोहन सिंह के अंगूठा निशान हैं तथा सजना पंचनामा पर सरपंच, पंचगण सहित कुल 8 हस्ताक्षर अगूंठा निशान हैं । इससे यह माना जा सकता है कि ग्राम पंचायत के पंचगण इस बात से सहमत थे कि जिन्नत अकबर की एक मात्र वारिस थीं, भले ही यह मानते समय उन्होंने निगराकारगण के वजूद को नजरअन्दाज किया हो । साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इस नामांतरण की प्रकिया में छोटे खं या निगराकारगण के कहीं हस्ताक्षर आदि नहीं थे ।

(5) जिन्नत के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण एक पक्षीय होना क्यों उचित नहीं था, इसकी विस्तृत विवेचना अपर आयुक्त ने आक्षेपित आदेश में की है, जिससे मैं सहमत हूँ एवं उसे नहीं दोहरा रहा हूँ । मेरा यह मानना है कि अनुविभागीय अधिकारी को जिन्नत को उसके तत्समय के वास्तविक पते पर व्यक्तिशः सूचित करने के लिये अधिक प्रयास करने चाहिये थे, जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नहीं किया जाना गलत था । साथ ही, निगराकारगण को भी अनुविभागीय अधिकारी को जिन्नत का तत्समय का वास्तविक पता अधिक गंभीरता एवं सच्चाई से बताना चाहिए था, चूंकि उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के

समक्ष के अपील ममो में जिन्नत के मायके वालों द्वारा उसे 'अपहृत' कर ले जाने का लेख किया है । निगराकारगण द्वारा यह नहीं करना भी गलत था ।

(6) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील नामांतरण पंजी के आदेश के लगभग 16 वर्ष 6 माह बाद प्रस्तुत हुई । नामांतरण आदेश की जानकारी निगराकारगण को इतने समय बाद ही हुई, पहले नहीं, इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी या अपर आयुक्त ने स्पष्ट निष्कर्ष नहीं अभिलिखित किए हैं ।

5/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मेरा यह मानना है कि ना तो अपर आयुक्त और ना ही अनुविभागीय अधिकारी के विषयांकित अपीलीय आदेश, प्रकरण में पूरी तरह समाधानकारक हैं। अतः मैं इन दोनों आदेशों को अपास्त करता हूँ, तथा यह प्रकरण अपर आयुक्त ग्वालियर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करता हूँ कि वे अपने न्यायालय का प्रकरण कमांक 305/13–14/अपील पुनः खोलें एवं उसमें इस आदेश के पूर्ववर्ती पैरा चार में लिखे जा चुके विभिन्न बिन्दुओं पर पूर्ण एवं स्पष्ट विवेचना कर नए सिरे से, उभयपक्ष को पक्ष समर्थन का युक्तिसंगत अवसर देते हुये आदेश पारित करें । ऐसा आदेश वे, उन्हें इस राजस्व मण्डल के आदेश की संसूचना के अधिकतम 6 माह के भीतर, पारित करें । अपर आयुक्त का नवीन आदेश पारित होने तक नामांतरण पंजी आदेश दिनांक 16–10–97 प्रभावहीन रहेगा, जिसके बाद अपर आयुक्त के आदेश के अनुसार उसका प्रभावी होना या नहीं होना मान्य होगा ।

आदेश पारित ।
पक्षकारगण, अपर आयुक्त, ग्वालियर सूचित हों ।
अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख एवं आदेश की प्रति अपर आयुक्त को भेजी जाएं।
प्रकरण समाप्त ।
दा0द0 हो ।

7.1.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर